

## नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019

### प्रलिस के लयि:

अधीनस्थ वधिन संबधी समतलि, राषु्ट्रीय नागरकि रजसुटर, 1985 का असम समझुता

### मेनुस के लयि:

नागरकिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 से संबधतल वशेषताएँ और मुदुदे

### चरुचा में कुयुँ?

हाल ही में गृह मंत्रालय (MHA) [नागरकिता \(संशोधन\) अधिनियम, 2019](#) (CAA) के तहत नयिमुँ को अधसुचतल करने की समय सीमा से चुक गया ।

- नागरकिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 से संबधतल चतलओँ और बेहतर स्पषुटता के लयल लोकसभा तथा राज्यसभा में दु संसदीय समतलललुँ (अधीनस्थ कानून संबधी समतलललुँ) ने गृह मंत्रालय से कानून को नथुँतरतल करने वाले नयिमुँ के नरुमाण की मांग की थी ।
- अगर सरकार नयिम और कानून नहीं बनाती है, तो कुई कानून या उसके कुछ हसुसुँ को लागू नहीं कयल जाएगा । वरुष 1988 का बेनामी लेन-देन अधिनियम एक ऐसे ही कानून का उदाहरण है, जो नयिमुँ के अभाव में लागू नहीं कयल गया है ।

### अधीनस्थ वधिन संबधी समतलि:

- इस समतललदुवारा जाँच की जाती है और यह सदन को रपुँरुट प्रसुतुत करती है कल कयल संबधलन दुवारा प्रदतुत या संसद दुवारा प्रतुयायुजतल वनयललुँ, नयलुँ और उप-नयलुँ आदल को बनाने की शकुतललुँ का इस तरह के प्रतनलधलरुडल के दायरे में कारुयपालकल दुवारा उचतल रूप से प्रयुग कयल जा रहा है ।
- इस समतलल में दुनुँ सदनुँ के सदसुय मुँजुद हुते हैं ।
- इसमें 15 सदसुय हुते हैं ।
- इस समतलल में कसलुँ मंतुरी को मनुनीत नहीं कयल जाता है ।

### प्रमुख बदुल

- **CAA के बारे में:**
  - CAA पाकसुतलन, अफगानसुतलन और बांगुलादेश के छह गैर-मुसलमल समुदायुँ (हदुल, सखल, बुधुध, जैनु, पारसुी और ईसलई) को धरुम के आधरु पर नागरकिता प्रदान करता है, जनुँहुँने 31 दसुंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कयल था ।
  - यह छह समुदायुँ के सदसुयुँ को वदलशी अधनयलम, 1946 और पासपुँरुट अधनयलम, 1920 के तहत कसलुँ भी आपराधकल मामले से छुट देता है ।
    - दुनुँ अधनयलम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और वीजा या परमटल के समाप्त हु जाने पर यहुँ रहने के लयल दंड नरुदषुट करते हैं ।
- **CAA के साथ संबधु चतललुँ:**
  - **एक वशेष समुदाय को लकुषतल करना:** ऐसी आशंकलुँ हैं कल CAA के बाद **राषु्ट्रीय नागरकि रजसुटर (एनआरसुी)** का देशवुयापी संकलन हुगा यह प्रसुतावतल नागरकि रजसुटर से बाहर कयल गए गैर-मुसलमानुँ को ललभानुवतल करेगा, जबकु बहुषुकुत मुसलमानुँ को अपनी नागरकिता साबतल करनी हुगी ।
  - **उतुतर-पुूरव के मुदुदे:** यह **वरुष 1985 के असम समझुते** का खंडन करता है, जसलमें कहा गया है कल 25 मार्च, 1971 के बाद बांगुलादेश से आने वाले अवैध प्रवासलुँ को चाहे वे कसलुँ भी धरुम के हुँ नरुवासतल कर दयल जाएगा ।
    - असम में अनुमानतल 20 मललयलन अवैध बांगुलादेशी प्रवासुी हैं और उनुँहुँने राज्य के संसाधनुँ तथा अरुथवुयवसुथा पर गंभीर दबाव डालने के अलावा राज्य की जनसांखुयकल को बदल दयल है ।
  - **मुूलकल अधकलरुँ के खलललफ:** आलुचकुँ का तरुक है कल यह संबधलन के **अनुचुुदे 14** (जु समानता के अधकलरु की गारंटी देता है व

- नागरिकों और वदेशियों दोनों पर लागू होता है) तथा [संवधान की प्रस्तावना](#) में नहिती धर्मनरिपेक्षता के सदिधांत का उल्लंघन है।
- **प्रकृता में भेदभावपूरण:** भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं जनिमें श्रीलंका के तमलि और म्याँमार के हट्टि रोहगिया शामिल हैं। वे इस अधनियिम के अंतरगत नहीं आते हैं।
  - **प्रशासन में कठनाई:** सरकार के लयि अवैध प्रवासियों और प्रभावति लोगों के बीच अंतर करना मुश्कलि होगा।
  - **द्वपिकषीय संबंधों में बाधा:** यह अधनियिम धार्मकि उत्पीड़न पर प्रकाश डालता है जो काइन तीन देशों में हुआ है और हो रहा है तथा इस प्रकार उनके साथ हमारे द्वपिकषीय संबंध खराब हो सकते हैं।

## आगे की राह

- भारत की एक समृद्ध सभ्यता रही है। इसलियि यह उन लोगों की रक्षा करने का एक नया प्रयास है जनि पर इसके पड़ोस में मुकदमा चलाया जाता है। हालाँकि तिरिके संवधान की भावना के अनुसार होने चाहयि।
- इस प्रकार MHA को CAA नयिमों को अत्यंत पारदर्शति के साथ अधसूचति करना चाहयि और सीएए से जुड़ी आशंकाओं को दूर करना चाहयि।

## स्रोत: द हट्टि

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/citizenship-amendment-act-2019-1>

